

मि.स. 29-01/2023-स्थापना/आर.टी.आई.

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
विस्तार निदेशालय

कृषि विस्तार भवन
आई.ए.एस.आर.आई. campus, पूसा
नई दिल्ली-110012
दिनांक 12 मई, 2023

सेवा में

Sh. N. Viswanath
H.No. 1-8-702/19/3, Padma Colony
Near Nallakunta, Hyderabad-500044
(Telangana).

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति- विस्तार निदेशालय से सम्बंधित सूचना प्राप्त करने के लिए श्री. एन. विश्वानाथ, तेलंगाना, से प्राप्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में सूचना देने से सम्बंधित (पंजीकरण संख्या DOEXT/R/T/23/00031 दिनांक 01.05.2023)

महोदय

कृपया आप अपने आर.टी. आई. अनुरोध उक्त पंजीकरण संख्या का अवलोकन करें जिसमें आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत उपरोक्त विषय पर विस्तार निदेशालय से सम्बंधित सूचना निम्नवत है :-

क्रम.स.	मांगी गई सूचना	जवाब
1.	Furnish the details regarding the funds allocated and released to government of Telangana State for the implementation of schemes which fall under your ministry between the period of June, 2014 and March, 31, 2023 (Scheme-wise, Year-wise)	A Centrally Sponsored Scheme "Support to State Extension Programs for Extension Reforms" popularly known as ATMA Scheme is under implementation since 2005. Presently, the scheme is being implemented in 704 districts of 28 States & 5 UTs in the country (including all the 32 districts of Telangana). The Scheme promotes decentralized farmer-friendly extension system in the country. Under the scheme, Grants-in-Aid is released to the State Governments with an objective to support State Government's efforts to make available the latest agricultural technologies and good agriculture practices in different thematic areas of agriculture and allied areas to farmers through different extension activities viz. Farmers Training, Demonstrations, Exposure Visits, Kisan Mela, Mobilization of Farmers Groups and organizing Farm Schools etc. The financial details is attached as Annexure.
2.	June 2, 2014 to March, 31, 2023 the details about the submission of Utilization Certificates (UCs) from Govt. of Telangana.	The Audited Utilization Certificates (AUCs) from 2014-15 to 2020-21 has been submitted by the Government of Telangana under the ATMA Scheme. AUC for the year 2021-22 and 2022-23 is awaited.
3.	June 2, 2014 to March 31, 2023 the amount spent by the remains unutilised at Govt. of Telangana (Scheme-wise, Year-wise).	The details of Opening Balance, Release, Expenditure and Unspent balance (USB) under the ATMA Scheme from 2014-15 to 2022-23 is Annexed.

आपको सूचित करना है कि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के खिलाफ प्रथम अपील, यदि कोई हो, करने के लिए यह उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीली प्राधिकारी को अपील किया जा सकता है। प्रथम अपीली प्राधिकारी का विवरण निम्नवत है :-

डॉ शैलेश कुमार मिश्र, निदेशक (विस्तार)
विस्तार निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कमरा न० 204,
कृषि विस्तार सदन, पूसा, नई दिल्ली-110012
दूरभाष - 011-25849881 व ई-मेल पता- shailesh.mishra29@gov.in

भवदीया
दीपा
12/5/2023
(दीपा पांडे)

उप० निदेशक (प्रशासन एवं सी.पी.आई.ओ.)

दूरभाष :- 011-25846467

ई-मेल :- deepa.pande65@gov.in

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव (विस्तार व सी.पी.आई.ओ.), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ ।
2. अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई.), आर.टी.आई. सेल, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
3. श्री जगदीश प्रसाद यादव, संयुक्त निदेशक/आई.टी. इनचार्ज, कृषि विस्तार भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त जवाब को विस्तार निदेशालय की वेबसाइट www.krishivistar.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें ।